वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – हिमांशु गर्ग, आर.जे.एस.
फौजदारी प्रकरण संख्या (सीआईएस नम्बर) – 213/2016
सीआईएस नंबर – 160/2018
सी.एन.आर. नंबर – RJBW170001712018
एफआईआर प्रकरण संख्या – 238/2016, पुलिस थाना माण्डल
राज्य

––अभियोगी

– विरूद्ध –

01– रामेश्वर उर्फ रामेश्वरलाल पुत्र श्री रामचंद्र गुर्जर उम्र 22 साल निवासी जसवंतपुरा, पुलिस थाना रायला, जिला भीलवाड़ा। **(मफरूर दिनांक 13–02–2026)**
02– पिंटुलाल उर्फ पिंटु पुत्र नारायण गुर्जर उम्र 21 साल निवासी जसवंतपुरा, पुलिस थाना रायला, जिला भीलवाड़ा।

– – अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा– 457, 380 भा.द.सं.

उपस्थित:–
01. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से अनुपस्थित।
02. श्री सुरेंद्र प्रताप सुवालका, अधिवक्ता, अभियुक्त पिंटु की ओर से।

–निर्णय– **दिनांक 10–03–2026**

घटना की दिनांक	20.08.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	03.09.2016
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	21.10.2016
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	07.04.2017
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	07.04.2017
बयान मुल्जिम लिए जाने की दिनांक	09.03.2026
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	10.03.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	10.03.2026
सजा आदेश यदि हो तो	दोषमुक्त (अभियुक्त पिंटुलाल उर्फ पिंटु की हद तक)

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.09.2016 को प्रार्थी श्री जमनालाल ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना माण्डल में इस आशय की पेश की कि दिनांक 17.08.2016 को लाये गये पशु आहार के बेग गांव हरिपुरा की डेयरी में रखे हुए थे जो

कि पशु आहार के कुल 46 बेग बचे हुए गोदाम में रखे हुए थे जो दिनांक 20.08.2016 को सुबह करीब 2–3 बजे के बीच चोरी हो गये है अतः अब तक तलाश की मगर पता नहीं चला अब रिपोर्ट करने आया है.....आदि। जिस पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 238/2016 धारा 457, 380 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान पुलिस थाना माण्डल, भीलवाड़ा द्वारा अभियुक्तगण 01– रामेश्वर उर्फ रामेश्वरलाल पुत्र श्री रामचंद्र गुर्जर 02– पिंटुलाल उर्फ पिंटु पुत्र नारायण गुर्जर के विरूद्ध धारा 457, 380 भा.दं.सं. के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 21–10–2016 को अभियुक्तगण रामेश्वर उर्फ रामेश्वरलाल, पिंटुलाल उर्फ पिंटु के विरूद्ध धारा 457, 380 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया।

2– अभियुक्तगण रामेश्वर उर्फ रामेश्वरलाल, पिंटुलाल उर्फ पिंटु को दिनांक 07–04–2017 को अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही।

3– अभियुक्त रामेश्वर उर्फ रामेश्वरलाल को दिनांक 13–02–2026 को मफरूर घोषित किया गया है। अभियुक्त रामेश्वर उर्फ रामेश्वरलाल को प्रकरण में मफरूर घोषित कर अभियुक्त पिंटुलाल उर्फ पिंटु की हद तक प्रकरण में निर्णय किया जा रहा है।

अभियोजन गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	जमनालाल	परिवादी
पी.डब्ल्यू. 02	मदनलाल	फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू. 03	नारायण	फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू. 04	गोपाल	ताईद साक्ष्य
पी.डब्ल्यू. 05	मांगीलाल	फर्द गिरफतारी रामेश्वर, फर्द जप्ती अभियुक्त रामेश्वर 15 कट्टे, फर्द नक्शा मौका बरामदगीस्थल, फर्द जप्ती पिकअप
पी.डब्ल्यू. 06	उदयराम	फर्द जप्ती अभियुक्त रामेश्वर, फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका, फर्द मौका तस्दीक अभियुक्त रामेश्वर
पी.डब्ल्यू. 07	शंकरलाल	फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त पिंटु एवं फर्द मौका तस्दीक बरामदगीस्थल अभियुक्त पिंटु
पी.डब्ल्यू. 08	पवन सिंह	फर्द जप्ती पिकअप, फर्द गिरफतारी अभियुक्त पिंटु
पी.डब्ल्यू. 09	दातार सिंह	एफआईआर कित्ता
पी.डब्ल्यू. 10	प्रताप सिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 11	हिंदुलाल	फर्द गिरफतारी अभियुक्त रामेश्वर, फर्द जप्ती अभियुक्त रामेश्वर 15 कट्टे, फर्द नक्शा मौका बरामदगीस्थल, फर्द

		गिरफतारी अभियुक्त पिंटु
पी.डब्ल्यू. 12	रुपलाल	फर्द मौका तस्दीक अभियुक्त रामेश्वर, फर्द जप्ती रामेश्वर, फर्द बरामदगीस्थल नक्शा, फर्द मौका तस्दीक बरामदगीस्थल अभियुक्त पिंटु, फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त पिंटु
पी.डब्ल्यू. 13	बालुराम	फर्द जप्ती पिकअप, धारा 133 एम.वी एक्ट का नोटिस

अभियोजन दस्तावेज सूची

क्र. सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 02	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
03	प्रदर्श पी 03	फर्द मौका तस्दीकअभियुक्त पिंटुलाल
04	प्रदर्श पी 04	फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल अभियुक्त पिंटु
05	प्रदर्श पी 05	फर्द गिरफतारी मुल्जिम रामेश्वर
06	प्रदर्श पी 06	फर्द बरामदगी 15 कट्टे अभियुक्त रामेश्वर
07	प्रदर्श पी 07	फर्द बरामदगी स्थल नक्शा
08	प्रदर्श पी 08	फर्द जप्ती पिकअप
09	प्रदर्श पी 09	फर्द तस्दीक घटनास्थल नक्शा अभियुक्त रामेश्वर
10	प्रदर्श पी 10	फर्द जप्ती सरिया लोहे का पेचकश और ताला अभियुक्त रामेश्वर
11	प्रदर्श पी 11	फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका
12	प्रदर्श पी 12	फर्द गिरफतारी मुल्जिम पिंटु
13	प्रदर्श पी 13	चॉक एफआईआर
14	प्रदर्श पी 14	27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला अभियुक्त रामेश्वर
15	प्रदर्श पी 15	27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला अभियुक्त रामेश्वर
16	प्रदर्श पी 16	27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला अभियुक्त रामेश्वर
17	प्रदर्श पी 17	नोटिस अंतर्गत धारा 133 एम.वी एक्ट
18	प्रदर्श पी 18	27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला अभियुक्त पिंटु

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने जिरह प्रदर्शित दस्तावेज

क्र. सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श डी 01	बालुराम के बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी

4– अभियुक्त पिंटुलाल उर्फ पिंटु पुत्र नारायण गुर्जर का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन गवाहान की साक्ष्य गलत होना तथा स्वयं निर्दोष होकर झुठा फंसाया जाने का कथन किया है। मुल्जिम पक्ष द्वारा बचाव साक्ष्य पेश ना करना चाहने पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

5– अभियुक्त पिंटुलाल उर्फ पिंटु पुत्र नारायण गुर्जर द्वारा अपीलीय न्यायालय में हाजरी बाबत् धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत छः माह की अवधि हेतु 10 हजार रूपये का स्वयं का मुचलका एवं जमानत पेश कर तस्दीक करवाये जा चुके है।

6– बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.08.16 को सुबह करीब 2 से 3 बजे गांव हरिपुरा कि डेयरी में रखे हुए पशु आहार के कुल 46 बैग प्रार्थी की अनुमति के बिना, चोरी का अपराध कारित करने के आशय से, उस मार्ग/रास्ता द्वारा, जो मानव प्रवेश हेतु आशयित नहीं था. प्रवेश कर करावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए गृह–भेदन का अपराध कारित कर प्रार्थी जमनालाल के डेयरी में रखे हुये कुल 46 बैग, बिना उसकी सहमति, बेईमानीपूर्वक आशय से ले जाकर चोरी की।

2. यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डनीय होगा ?

7– उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के निस्तारण हेतु बहस सुनी जाकर साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

8– दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त पिंटु उर्फ पिंटुलाल को झुठा फंसाया जाने का कथन किया एवं बताया कि परिवादी जमनालाल ने स्वयं ही तहरीरी रिपोर्ट में क्या लिखा है पता नहीं होने का कथन किया है। नक्शा मौका के गवाहान मदनलाल व नारायण ने नक्शा मौका पर उनके हस्ताक्षर नहीं होना बताया है। गोपाल ने उसे घटना की कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया है। अभियुक्त पिंटु द्वारा कोई चोरी नहीं की गई है प्रकरण में अभियुक्त पिंटु से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। गवाह रुपलाल व शंकरलाल ने फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल व फर्द मौका तस्दीक बरामदगीस्थल पर उनके खाली कागज पर हस्ताक्षर करना बताया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने विरोधाभासी कथन किये है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपराध साबित करने में असफल रहा है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

9– सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने पर अधिवक्ता अभियुक्त को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

10– सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उठाए गए तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समग्र रूप से विश्लेषण करें तो प्रकरण में कुल 13 गवाह परीक्षित हुए हैं।

11– गवाह पी डब्ल्यू 01 जमनालाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 20.08.2016 को उनकी हरिपुरा में जो डेयरी है, वहां से 46 बैग पशु आहार से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिये गये। उसने दिनाक 03.09.2016 को माण्डल थाना पशु आहार चोरी की एफआईआर दर्ज करवायी। माण्डल थाना पुलिस ने छानबीन कर चोरों को पकड़ लिया था। चोरों के नाम उसे नहीं पता। माण्डल थाना द्वारा पशु आहार बरामद करके पशु आहार समिति को वापिस लौटा दिया गया। रिपोर्ट प्रदर्श 1 है। नक्शा मौका प्रदर्श 2 है। फर्द मौका तस्दीक अभियुक्त पिंटु व नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्र० 3 व प्र० 04 है। उसके पास कोई स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि प्र० पी 1 पर उसने केवल हस्ताक्षर किये। इसमें क्या लिखा है और किसने लिखी है इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि प्र० 02 व प्र. 3, प्र० 4 पर हस्ताक्षर उसने खाली कागज पर किये थे जो पुलिस वालों ने थाने में करवाये थे। यह कहना सही है कि उसके पुलिस थाने में बयान व पुछताछ नही हुई। यह कहना सही है कि उनका सामान प्राप्त हो गया है और अब वे मुलजिम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

12– गवाह पी डब्ल्यू 02 मदनलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 03.09.2016 की बात है। उसका पुलिस ने बयान लिया। उस समय वह डेयरी में दुध देने के लिए आया था। दिनांक 04.09.2016 को पुलिस ने मौका पर्चा बनाया। कट्टे चोरी हुए वो भी उसे ध्यान है जिसका नक्शा मौका उसके सामने बनाया। नक्शा मौका प्रदर्श 2 हैं। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि पुलिस में उसके कोई बयान नहीं हुए और न ही कोई पुछताछ हुई। यह कहना सही है कि पुलिस ने पर्चा मौका उसके सामने नहीं बनाया और न ही उसने किसी कागज पर हस्ताक्षर किये। प्रदर्श 2 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है और उसे किसी भी घटना की कोई भी जानकारी नही है।

13– गवाह पी डब्ल्यू 03 नारायण ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 03.09.2016 की बात है। उसका पुलिस ने बयान लिया। उस समय वह डेयरी में दुध देने के लिए आया था। दिनांक 04.09.2016 को पुलिस ने मौका पर्चा बनाया। कट्टे चोरी हुए वो भी उसे ध्यान है जिसका नक्शा मौका उसके सामने बनाया। नक्शा मौका प्रदर्श 2 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि पुलिस मे उसके कोई बयान नहीं हुए और न ही कोई पुछताछ हुई। यह कहना सही है कि पुलिस ने पर्चा मौका उसके सामने नहीं बनाया और न ही उसने किसी कागज पर हस्ताक्षर किये। प्रदर्श 2 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है और उसे किसी भी घटना की कोई भी जानकारी नहीं है।

14– गवाह पी डब्ल्यू 04 गोपाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि काफी समय पहले की बात है। उसे दस्त लगे थे तो वह हाथ मुंह धोने उठा तो उसने देखा कि जमनालाल जी कुमावत की डेयरी के दरवाजे खुले हैं। तो उन्होने कहा कि वह डेयरी में नहीं है तो किसने खोले ? फिर उन्होने आकर देखा तो बताया कि अज्ञात चोर पशु आहार के कट्टे चुराकर ले गया है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि उसे किसी भी घटना की कोई भी जानकारी नही है और न ही पुलिस मे उसके कोई बयान हुए और न ही पुलिस वालों ने

उससे कोई पुछताछ की और यह सही है वह किसी भी चोरी की घटना के बारे में नहीं जानता है।

15– गवाह पी डब्ल्यू 05 मांगीलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 04.09.2016 को थाना माण्डल में कानि के पद पर तैनात था। उस रोज मुलजिम रामेश्वरलाल को अनुसंधान अधिकारी प्रताप सिंह ने उसके व हिन्दुलाल के समक्ष प्र.सं. 238/16 अतर्गत धारा 457, 380 में थाना माण्डल में गिरफतार किया। फर्द गिरफतारी मुलजिम रामेश्वर प्रदर्श पी 05 है। दिनांक 08.09.16 को जैर हिरासत मुलजिम रामेश्वर की निशादेही से इस प्रकरण में उसके व गवाह हिन्दुलाल की उपस्थिति में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री प्रतापसिंह ने हडडी फैक्टरी लाम्बिया से 15 कटटे प्रत्येक 50 किग्रा पशु आहार का बरामद किया। फर्द बरामदगी 15 कट्टे प्रदर्श पी 6 है। तत्पश्चात् बरामदगी स्थल का नक्शामौका मुर्तिब किया गया। फर्द बरामदगी स्थल नक्शा प्रदर्श पी 07 हैं। दिनांक 09.09.2016 को इस प्रकरण में उसके व गवाह पवन सिंह की उपस्थिति में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री प्रतापसिंह ने घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन सं. आरजे 51 जीए 0015 को बालूराम से पुलिस थाना माण्डल में जब्त किया। फर्द जब्ती पिकअप प्रदर्श पी 8 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया कि ये कहना सही है कि उक्त सभी फर्दों प्रदर्श पी 05 लगायत पी 08 पर दोनों मौतबीर गवाह सरकारी कर्मचारी हैं। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 05 फर्द गिरफतारी थाना माण्डल पर तैयार की गई थी। ये कहना सही है कि फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 5 पर हस्ताक्षर उसने अनुसंधान अधिकारी प्रतापसिंह जी के कहने पर किये थे। उसे जानकारी नहीं है कि फर्द गिरफतारी अभियुक्त की सूचना उसके परिचित या रिश्तेदार को दी गई हो। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 06 में कटटों पर क्या अंकित था ये उसे आज याद नहीं है। कटटे पशु आहार सरस कंपनी के थे। कटटे पीले रंग के थे। ये उसे जानकारी नहीं है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी 06 में अनुसंधान अधिकारी ने कट्टों का रंग अंकित किया या नहीं। जिस स्थान से 15 कटटे बरामद किये गये वह स्थान किसके स्वामित्व में था, इसके बारे में अनुसंधान अधिकारी ही बता सकते हैं, उसकी जानकारी में नहीं है। फर्द बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 07 के दक्षिण में खाली जमीन है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 08 में जब्तशुदा वाहन पिकअप महेन्द्रा कंपनी की थी। उक्त वाहन के डाले अथवा फंटा कांच पर कुछ लिखा हो तो उसे आज याद नहीं है। उक्त वाहन के चेसिस अथवा इंजन नहीं बता सकता। ये बात सही है कि उक्त सभी फर्दो प्रदर्श पी 05 लगायत प्रदर्श पी 08 पर ए बी हस्ताक्षर उसने अनुसंधान अधिकारी श्री प्रतापसिंह जी के कहने से किये थे। ये कहना गलत है कि अनुसंधान अधिकारी ने उसके सामने कोई कार्यवाही न की हो।

16– गवाह पी डब्ल्यू 06 उदयराम ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह हरिपुरा का रहने वाला है। फर्द तस्दीक घटनास्थल नक्शा प्रदर्श पी 09 है। फर्द जब्ती सरिया लोहे का, पेचकश, ताला प्रदर्श पी 10 है। फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 11 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया कि ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 09 लगायत प्रदर्श पी 11 पर हस्ताक्षर उसने थाना माण्डल में किये थे। ये कहना सही है कि 09 लगायत प्रदर्श पी 11 पर हस्ताक्षर करते समय कागज खाली था। ये कहना सही है कि उक्त तीनों फर्दों पर हस्ताक्षर करते समय शंकरलाल भी उसके साथ मौजूद था। ये कहना सही है कि उक्त तीनों फर्दों पर

पुलिसवालों ने बाद क्या लिखापढ़ी की, इसकी उसे जानकारी नहीं है। ये कहना सही है कि उसके सामने पुलिसवालों ने कोई सामान जब्त नहीं किया।

17– गवाह पी डब्ल्यू 07 शंकरलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह हरिपुरा का रहने वाला है। फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 3 है। फर्द मौका तस्दीक बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 04 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया कि ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 व पी 4 पर हस्ताक्षर उसने माण्डल थाना में ही किये थे। ये बात सही है उक्त फर्दों पर उसके द्वारा हस्ताक्षर करते समय जमनालाल ने भी थाना माण्डल पर उसके सामने हस्ताक्षर किये थे। ये कहना सही है कि उक्त दोनों फर्दो प्रदर्श पी 03 व 04 पर हस्ताक्षर करते समय कागज खाली था। ये कहना सही है कि उक्त दोनों फर्दों पर उसने पुलिसवालों के कहने से हस्ताक्षर किये थे। ये बात सही है कि उक्त दोनों फर्दों पर पुलिसवालों ने बाद में क्या लिखापढ़ी की, ये उसकी जानकारी में नहीं है। ये कहना सही है कि उक्त दोनों फर्दों पर हस्ताक्षर करते समय पुलिसवालों, उसके व जमनालाल के अतिरिक्त और कोई थाने पर मौजूद नहीं था।

18– गवाह पी डब्ल्यू 08 पवनसिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 09.09.2016 को थाना माण्डल में कानि के पद पर तैनात था। उस रोज प्र.सं. 236/16 अंतर्गत धारा 457, 380 के अनुसंधान अधिकारी श्री प्रतापसिंह जी ने उसके व गवाह मांगीलाल के समक्ष थाना माण्डल में एक पिकअप सफेद रंग की बोलेरो नं. आरजे 51 जीए 0015 जब्त की थी। फर्द जब्ती पिकअप प्रदर्श पी 08 है। दिनांक 16.09.2016 को इस प्रकरण के मुलजिम पिंटूलाल गुर्जर को अनुसंधान अधिकारी प्रतापसिंह जी ने उसके व गवाह हिन्दुलाल की उपस्थिति में थाना माण्डल में गिरफतार किया। फर्द गिरफतारी मुलजिम पिंटू प्रदर्श पी 12 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रकरण में वाहन को पुलिस थाने में ही जप्त किया था। यह कहना सही है कि जप्ती के समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। यह कहना सही है कि अभियुक्त पिंटु की गिरफतारी थाने पर ही हुई थी। यह कहना सही कि प्रदर्श पी 12 में किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने प्रदर्श पी 8 व प्रदर्श पी 12 पर हस्ताक्षर अपने वरिष्ठ अधिकारी के कहने से किए हो, बल्कि प्रकरण में सामने गाड़ी जप्त हुई थी , व मुल्जिम पिंटू को गिरफ्तार किया था, इसीलिए उसने जप्ती व गिरफतारी पर हस्ताक्षर किए थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 8 व पी 12 जप्ती व गिरफतारी पर पुलिस वालों के अलावा और कोई मोतबिरान मौजूद नहीं था। प्रकरण में जप्ती प्रदर्श पी 8 गिरफतारी प्रदर्श पी 12 रिपोर्ट के 4–5 दिन बाद हुई थी।

19– गवाह पी डब्ल्यू 09 दातारसिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 03.09.2016 को थाना माण्डल पर एसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन श्री जमनालाल कुमावत ने एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की, जिस पर मु.नं. 238/2016 धारा 457, 380 आईपीसी में दर्ज कर श्री प्रतापसिंह एएसआइ के अनुसंधान हेतु जिम्मे की गई जो प्रदर्श पी 1 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 13 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी 1 उसके समक्ष जमनालाल दिनांक 03.09.2016 को समय 6.30 पीएम पर देने आया था। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में उसने कोई जांच व अनुसंधान नहीं कर, ना ही कोई कार्रवाई

की। यह बात सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में किसी अभियुक्त का नाम नहीं था, ओर नामजद रिपोर्ट नहीं थी।

20– गवाह पी डब्ल्यू 10 प्रतापसिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 03.09.2016 को थाना माण्डल पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण सं. 238/16 धारा 457, 380 आईपीसी की एफआइआर वास्ते अनुसंधान हेतु इंचार्ज थाना द्वारा दी गई। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी 2 है। दौराने अनुसंधान गवाहान जमनालाल, मदनलाल, नारायण, गोपाललाल, बालुराम के बयान उनके कथनानुसार अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी में लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त रामेश्वरलाल को गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी मुरतिब की गई, जो प्रदर्श पी 5 है। दौराने अनुसंधान जैर हिरासत मुल्जिम रामेश्वर द्वारा उसे स्वैच्छा अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधि. की दी गई इत्तला कमशः प्रदर्श पी 14 पी 15 व पी 16 है। मुल्जिम रामेश्वर द्वारा दी गई इत्तला के आधार पर जैर हिरासत मुल्जिम रामेश्वर की निशांदेही से रूबरू मोतबिरान की उपस्थिति मौका तस्दीक किया गया। जिसकी फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी 9 है। मुल्जिम रामेश्वर द्वारा दी गई इत्तला पर मुल्जिम की निशादेही से रूबरू मोतबिरान की उपस्थिति में एक लोहे का सरिया, पेचकस व टूटा हुआ ताला बरामद किया गया, जिसकी बरामदगी प्रदर्श पी 10 है। बरागदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 11 है। मुल्जिम रामेश्वर द्वारा दी गई इत्तला के आधार जैरहिरासत मुल्जिम रामेश्वर की निशादेही से रूबरू मोतबिरान की उपस्थिति में प्रकरण हाजा का माल मशरुका 15 कट्टे पशुआहार के बंद पड़ी हड्डी फैक्ट्री के अंदर से एक कमरे में से बरामद किए गए। फर्द जप्ती 15 कट्टे पशुआहार प्रदर्श पी 6 है। 15 कट्टे बरामद करने का नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 7 है। दौराने अनुसंधान एक सफेद रंग का पिकअप वाहन रजि. नं. आरजे 51 जीए 0015 को उसके मालिक बालूराम के द्वारा उसके समक्ष पुलिस थाना माण्डल में पेश किया। उक्त वाहन को वक्त घटना पशु आहार के कट्टे चुराने में उपयोग में लाए जाने से उसके द्वारा प्रकरण में जप्त किया गया, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 8 है। वाहन मालिक बालुराम को दिया गया नोटिस अंतर्गत धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी 17 है, प्रकरण में अभियुक्त पिंटूलाल को जरिये फर्द गिरफतार किया गया , जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 12 है। दौराने अनुसंधान जैर हिरासत मुल्जिम पिंटुलाल द्वारा उसे स्वैच्छा अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधि. की दी गई इत्तला प्रदर्श पी 18 है। दौराने अनुसंधान जैर हिरासत मुल्जिम पिंटू द्वारा दी गई इत्तला के आधार पर मुल्जिम पिंटूलाल की निशादेही से रूबरू मोतबिरान की उपस्थिति में मौका तस्दीक किया जाकर फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल मुरतिब की गई, जो कि प्रदर्श पी 3 है। जैर हिरासत मुल्जिम पिंटुलाल की निशांदेही से रूबरू मोतबिरान की उपस्थिति में मौका तस्दीक बरामदगी स्थल की जाकर फर्द मौका तस्दीक बरामदगी स्थल मुरतिब की गई, जो कि प्रदर्श पी 4 है। बाद अनुसंधान प्रकरण में मुल्जिम रामेश्वरलाल, पिंटुलाल के विरूद्ध धारा 457,380 व विधि विरूद्ध संघर्षरत बालक शिवलाल के विरूद्ध धारा 457,380 में प्रकरण बनना पाया था, जिस पर विधि विरूद्ध संघर्षरत बालक का विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय श्रीमान प्रिंसिपल महोदय किशोर न्याय बोर्ड पालड़ी के समक्ष पृथक से पेश किया गया, एवं मुल्जिम रामेश्वर व पिंटुलाल के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश करने हेतु श्रीमान थानाधिकारी महोदय के समक्ष पेश की। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त

गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि घटना की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 घटना के 13 दिन बाद पेश हुई थी। एफआईआर विलंब से दर्ज कराने का कारण तहरीरी रिपोर्ट में अंकित है। गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट में माल मुल्जिम को तलाश किए जाने के बाद रिपोर्ट दिया जाना अंकित होना बताया। यह कहना सही है कि तहरीरी रिपोर्ट में मुल्जिम नामजद नहीं है। यह कहना सही है कि तहरीरी रिपोर्ट में कट्टों की कंपनी का अंकन नहीं है, लेकिन तहरीरी रिपोर्ट के साथ बिल संलग्न थे। यह कहना सही है कि पत्रावली में बिल शामिल नहीं है। अजखुद कहा कि प्रार्थी अपने बयानों में कट्टे के बारे में स्पष्ट बताया था। यह कहना गलत है कि तहरीरी रिपोर्ट में क्या सामान कितनी मात्रा में चोरी हुआ, इसका अंकन ना हो। अजखुद कहा कि 46 कट्टे पशुआहार के चोरी होने का अंकन तहरीरी रिपोर्ट में है। यह कहना सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 उसके सामने पेश नहीं हुई अजखुद कहा कि थानाधिकारी के समक्ष पेश हुई थी। रिपोर्ट पेश होने के दिन अनुसंधान उसके जिम्मे कर दिया था। यह कहना सही है कि घटना स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 मालिकाना हक से संबंधति दस्तावेज उसने नहीं लिए। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 2 में मार्क एक्स से दर्शित स्थान चारों ओर से खुला स्थान है। घटना स्थल के पड़ोस में उत्तर दिशा में स्कूल है, पूर्व दिशा में सामूदायिक भवन है, बाकी खुला स्थान है। दक्षिण की तरफ आम रास्ता है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 2 के दोनों गवाहान प्रार्थी जमनालाल लेकर आया हो। यह कहना सही है कि मुल्जिम रामेश्वर को थाने पर ही गिरफतार किया था। यह कहना सही है कि रामेश्वर की गिरफतारी के समय पुलिस वाले ही गवाह थे, कोई स्वतत्र गवाह नहीं था। यह कहना गलत है कि मुल्जिम रामेश्वर की गिरफतारी की सूचना उसके किसी परिजन को न दी हो, बल्कि इसका अंकन प्रदर्श पी 5 में हैं। ये कहना सही है कि धारा 27 की इत्तला प्रदर्श पी 14, पी 15, पी 16 व पी 18 के समय मुलजिमान अभिरक्षा में थे। ये कहना गलत है कि उसने मुलजिमानों को दवाब में लेकर इत्तला प्राप्त की हो। 27 की इत्तलाओं पर एक मोतबीर के हस्ताक्षर हैं। ये कहना सही है कि 27 की इत्तलाओं का गवाह पुलिसकर्मी है। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 14, पी 15, पी 16 उसकी कलमी है। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 18 उसने लिखवाई थी। ये कहना गलत है कि फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी 09 पर किसी मौतबीर के हस्ताक्षर न हो। प्रदर्श पी 09 के मौतबीर कौन थे यह फर्द में अंकित है। प्रदर्श पी 09 मौके पर बनाई थी। तारीख व समय फर्द पर अंकित है। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 09 व पी 11 में मोका तस्दीक में उसने स्वामित्व सबंधी कोई दस्तावेज नहीं लिये ना ही पत्रावली में है। प्रदर्श पी 10 व 11 दोनों फर्दों में जो तारीख अंकित है उसी दिन तैयार किया था। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 06 मौके पर जब्त की थी जो पशु आहार सरस गोल्ड के 15 कटटे थे। ये कहना सही है कि फर्द प्रदर्श पी 06 में कोई स्वतंत्र गवाह न होकर पुलिसकर्मी है। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 07 बरामदगी स्थल का स्वामित्व सबधी उसने कोई दस्तावेज नहीं लिया है न ही पत्रावली में है। ये कहना सही है कि फर्द प्रदर्श पी 07 में कोई स्वतंत्र गवाह न होकर पुलिसकर्मी है। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 07 पिकअप थाने में ही जब्त की थी। जब्ती के गवाह कोई स्वतंत्र गवाह न होकर पुलिसकर्मी ही थे। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 17 में मेरी लिखावट है। ये कहना सही है कि फर्द प्रदर्श पी 03 व पी 04 में कोई स्वतंत्र गवाह न होकर पुलिसकर्मी है। ये कहना सही है कि समस्त फर्दों की लिखावट उसकी कलमी है। ये कहना गलत है कि उसके पास अनुसंधान के लिये पत्रावली आने के तीन–चार दिन के भीतर उसने

चार्जशीट पेश कर दी हो।

21– गवाह पी डब्ल्यू 11 हिंदुलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 04.09.2016 को पुलिस थाना माण्डल में कानि के पद पर तैनात था। उस रोज उसके समक्ष प्र.सं. 238/2016 अंतर्गत धारा 457, 380 में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी प्रतापसिंह ने उसके व गवाह मांगीलाल के समक्ष मुल्जिम रामेश्वरलाल को पुलिस थाना माण्डल गिरफतार किया, जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 5 है मुल्जिम रामेश्वर की निशादेही से हड्डी फैक्ट्री के कमरे से 15 कट्टे पशु आहार के अनुसंधान अधिकारी श्री प्रतापसिंह ने उसके व गवाह मांगीलाल के समक्ष जप्त किए। जिसकी फर्द जप्ती प्र. पी 6 है। फर्द बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 है। प्रकरण के मुल्जिम पिंटूलाल गुर्जर को अनुसंधान अधिकारी प्रतापसिंह ने उसके व गवाह पवन सिंह के समक्ष पुलिस थाना माण्डल में गिरफतार किया , जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 12 है। दौराने अनुसंधान जैर हिरासत मुल्जिम पिंटुलाल ने उसके समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री प्रतापसिंह को धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधि. के तहत स्वैच्छा इत्तला दी, जो कि प्रदर्श पी 18 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 6 में जो जप्ती थाने में ही हुई, उस समय पुलिस के अलावा ओर कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 12 गिरफ्तारी भी थाने में ही हुई, जिसमें कोई स्वतंत्र गवाह नहीं थे, केवल पुलिस वाले ही थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 18 धारा 27 भारतीय साक्ष्म अधि. मुरतिब किया गया उस समय उसके, अनुसंधान अधिकारी व मुल्जिम पिंटू के अलावा कोई नहीं था। जिस समय मुल्जिम ने धारा 27 की इत्तला दी, उस समय कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई थी। प्रदर्श पी 18 की लिखावट उसके हाथ की है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 6 मांगीलाल कॉनि की उपस्थिति में हुई थी, उस दिन क्या तारीख थी व क्या समय हो रहा था, आज उसे याद नहीं है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 बनाते समय कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था, अजखुद कहा कि फैक्ट्री सुनसान जगह पर थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 में बरामदगी स्थल के पास में नेशनल हाइवे है। फर्द बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 7 के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज लेने के बारे में अनुसंधान अधिकारी बता सकते हैं, उसे नहीं पता। मुल्जिम पिंटू की गिरफतारी से पहले उसके परिजनों को सूचित किया था। यह कहना सही है कि मुल्जिम पिंटू की फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 12 में ऐसी कोई सूचना जाने का अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि जब मुल्जिम ने धारा 27 की इत्तला दी थी, उस समय वह अभिरक्षा में था। उसके सामने बरामद कट्टों को सीलचिट नहीं किया था, अजखुद कहा कि कट्टे पहले से ही पैक थे। कट्टों का रंग सफेद या मटमेला हो सकता है। कट्टों का वजन आज उसे याद नही है, प्रत्येक कट्टे का वजन 50 किलो हो सकता है। कट्टों पर कंपनी का मार्का लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, उसे याद नहीं । उसके सामने 15 कट्टे बरामद हुए थे।

22– गवाह पी डब्ल्यू 12 रुपलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह हरिपुरा का रहने वाला है। वह निर्माण कार्य की ठेकेदारी का काम करता है। उनके हरिपुरा गांव में सरस डेयरी में से पशु आहार के कटटे चोरी हो गये थे। चोरी वर्ष 2016 में हुई थी। उनका घर डेयरी से 500–700 मीटर की दूरी पर है। चोरी रात को हुई थी। चोरी के बाद डेयरी के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। गांव के सभी लोग चोरी के बारे में बात कर रहे थे। फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल नक्शा प्रदर्श पी 09 है

फर्द जब्ती सरिया लोहे का, पेचकश, ताला प्रदर्श पी 10 है। फर्द बरामदगी स्थल नक्शामौका प्रदर्श पी 11 है। फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 03 है। फर्द मौका तस्दीक बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 04 । दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया कि ये कहना सही है कि दिनांक 19.08.2016 से लेकर 21.08.2016 तक वह अपने कार्यस्थल भीलवाड़ा पर ही मौजूद था। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 09 लगायत पी 11 पर हस्ताक्षर उसने खाली कागज पर पुलिसवालों के कहने से किये थे, ये कहना भी सही है कि उक्त फर्दों में पुलिसवालों ने क्या लिखापढ़ी की उसे नहीं पता। ये कहना सही है कि उसने प्रदर्श पी 09 लगायत 11 फर्दों पर हस्ताक्षर थाना माण्डल में किये थे। ये कहना सही है कि उक्त फर्दों पर हस्ताक्षर करते समय कौन कौन मौजूद था उसे नहीं पता। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 व 04 पर हस्ताक्षर उसने खाली कागज पर पुलिसवालों के कहने से किये थे तथा उक्त दोनों फर्दों पर हस्ताक्षर उसने थाना माण्डल में किये थे। ये कहना सही है कि उसे किसी घटना की कोई जानकारी नहीं है।

23– गवाह पी डब्ल्यू 13 बालुराम ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि पिकअप बोलेरो नं. आरजे 51 जीए 0015 उसके नाम है। उसकी पिकअप वह ही चलाता है पर राखी के रोज उसे बुखार आने से उसकी पिकअप रामेश्वर उससे मांगकर ले गया था। रामेश्वर उससे पिकअप 18 तारीख को मांगकर ले गया था रामेश्वर उससे सब्जी भीलवाड़ा छोड़कर आने के नाम पर पिकअप ले गया था। राखी के रोज ही रामेश्वर उसे उसके घर पर पिकअप वापस कर गया था। एक महीने बाद 18 तारीख को उसके पास थाने से फोन आया कि उसे थाने पर आना है। वह उसी रोज अपनी पिकअप लेकर माण्डल थाने में चला गया और थाने में उसे बिठा लिया। फिर उसके रिश्तेदार आकर उसे थाने से छुड़ाकर ले गये। फर्द जब्ती पिकअप नं. आरजे 51 जीए 0015 प्रदर्श पी 8 हैं। एमवीएक्ट की धारा 133 के तहत उसे दिया गया नोटिस प्रदर्श पी 17 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया कि ये कहना सही है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी 08 पर हस्ताक्षर उसने थाने में ही किये थे। ये कहना भी सही है कि प्रदर्श पी 8 पर पुलिस वालों ने क्या लिखापढ़ी की उसे नहीं पता। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 08 पर हस्ताक्षर किस बात के कराये उसे नहीं पता, उस समय वह अकेला ही था। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 17 पर उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 17 में सी से डी इबारत किसने लिखी वह नहीं बता सकता। ये कहना सही है कि दिनांक 19.08.2016 से लेकर 21.08.2016 तक पिकअप उसके पास ही थी। ये कहना सही है कि उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखवाया।

24– पत्रावली पर प्रदर्शित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 का अवलोकन करने से जाहिर है कि यह रिपोर्ट परिवादी जमनालाल द्वारा इस आशय की दर्ज करवायी गयी है कि दिनांक 17.08.2016 को लाये गये पशु आहार के बेग गांव हरिपुरा की डेयरी में रखे हुए थे जो कि पशु आहार के कुल 46 बेग गोदाम में रखे हुए थे। दिनांक 20.08.2016 को सुबह करीब 2–3 बजे के बीच चोरी हो गये जिनकी तलाश की मगर पता नहीं चला.....आदि।

25– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के संबंध में पत्रावली पर आयी अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 01 जमनालाल जो कि प्रकरण का परिवादी है ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में दिनांक 20.08.2016 को उनकी हरिपुरा डेयरी से 46 बेग पशु आहार के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेने, माण्डल पुलिस के

द्वारा चोरों को पकड़ लेने एवं चोरों के नाम उसे पता नहीं होने का कथन किया है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 पर उसने केवल हस्ताक्षर किये। इसमें क्या लिखा है और किसने लिखी है उसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 2, 3 व 4 पर हस्ताक्षर उसने खाली कागज पर किये थे जो पुलिस वालों ने थाने में करवाये थे। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 01 जमनालाल ने उनकी हरिपुरा डेयरी से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 46 बेग पशु आहार के चोरी कर लेना बताया है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट में क्या लिखा है पता नहीं होने एवं प्रदर्श पी 2 नक्शा मौका, प्रदर्श पी 3 फर्द मौका तस्दीक अभियुक्त पिंटु एवं प्रदर्श पी 4 नक्शा मौका बरामदगी स्थल पर पुलिस वालों के द्वारा खाली कागज पर थाने में हस्ताक्षर करवाना बताया है। गवाह पीडब्ल्यू 04 गोपाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में काफी समय पहले अज्ञात चोरों के द्वारा जमनालाल की डेयरी से पशु आहार के कट्टे चुराकर ले जाना बताया है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसे किसी घटना की कोई जानकारी नहीं है। यह सही है कि वह किसी भी चोरी की घटना के बारे में नहीं जानता है। इस प्रकार यह गवाह पीडब्ल्यू 04 गोपाल मुख्य परीक्षा में तो जमनालाल की डेयरी से पशु आहार चोरी करने का कथन करता है परंतु दौराने जिरह उसे घटना की कोई जानकारी न होने और किसी भी चोरी की घटना के बारे में नहीं जानने का कथन करता है। गवाह पीडब्ल्यू 02 मदनलाल व पीडब्ल्यू 03 नारायण ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में दिनांक 04.09.2016 को पुलिस वालों के द्वारा कट्टे चोरी हुए का नक्शा मौका बनाने जिस पर उनके हस्ताक्षर होने का कथन किया है। दौराने जिरह गवाहान ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि पुलिस ने पर्चा मौका उनके सामने नहीं बनाया न ही उन्होंने किसी कागज पर हस्ताक्षर किये। प्रदर्श पी 2 पर उनके हस्ताक्षर नहीं है और न ही उन्हें किसी घटना की जानकारी है। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 02 मदनलाल व पीडब्ल्यू 03 नारायण ने मुख्य परीक्षा में तो पुलिस के द्वारा कट्टे चोरी होने का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाने एवं प्रदर्श पी 2 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है जबकि दौराने जिरह पुलिस के द्वारा पर्चा मौका उनके सामने नहीं बनाने, उनके द्वारा किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करने, प्रदर्श पी 2 पर उनके हस्ताक्षर नहीं होने एवं उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया है। अभियोजन पक्ष के उक्त गवाहों ने न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी कथन किये है। गवाह पीडब्ल्यू 02 मदनलाल व पीडब्ल्यू 03 नारायण ने दौराने जिरह प्रदर्श पी 2 नक्शा मौका पर स्वयं के हस्ताक्षर नहीं होना बताया है। गवाह पीडब्ल्यू 01 जमनालाल ने प्रदर्श पी 2 नक्शा मौका पर स्वयं के पुलिस वालों के द्वारा थाने पर खाली कागज पर हस्ताक्षर करना बताया है।

26– न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उन्होंने अभियुक्त पिंटु को चोरी करते हुए देखा हो। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पिंटु को चोरी करते हुए किसी ने नहीं देखा। अभियोजन को अपना मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य से साबित करना था। अभियुक्त को आरोपित अपराध में संयोजित करने हेतु उनसे की गयी बरामदगी/जप्ती अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पत्रावली पर अभियुक्त पिंटु के संदर्भ में आयी अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 10 प्रतापसिंह जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है ने अभियुक्त पिंटु को जरिये फर्द प्रदर्श पी 12 गिरफतार करने का कथन किया है साथ ही कथन

किया है कि दौराने अनुसंधान अभियुक्त पिंटुलाल द्वारा उसे स्वेच्छया धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी 18 दी गई जिस इत्तिला के आधार पर अभियुक्त पिंटुलाल की निशांदेही से मौतबिरान की उपस्थिति में मौका तस्दीक किया जाकर फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 3 मुर्तिब किया गया एवं अभियुक्त पिंटुलाल की निशांदेही से मौतबिरान की उपस्थिति में मौका तस्दीक बरामदगी स्थल की जाकर फर्द मौका तस्दीक बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 4 मुर्तिब की गयी। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 10 प्रतापसिंह ने अभियुक्त पिंटु से चोरीशुदा समान बरामद किया हो ऐसा कोई कथन नहीं किया है। उक्त गवाह ने तो अभियुक्त पिंटु की इत्तिला के आधार पर पिंटु से फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल एवं फर्द मौका तस्दीक बरामदगीस्थल बनाये जाने का कथन कर उक्त आधार पर ही अभियुक्त पिंटु को प्रकरण में संयोजित करना बताया है। इस संदर्भ में प्रदर्श पी 03 फर्द तस्दीक घटनास्थल का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 01 जमनालाल जो कि प्रकरण का परिवादी है ने प्रदर्श पी 3 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस वालों के द्वारा थाने में खाली कागज पर करवाना बताया है। गवाह पीडब्ल्यू 07 शंकरलाल व पीडब्ल्यू 12 रुपलाल ने प्रदर्श पी 3 पर थाना माण्डल में खाली कागज पर हस्ताक्षर करने एवं पुलिस वालों ने कागज पर क्या लिखापढ़ी की पता नहीं होने का कथन किया है। साथ ही गवाह पीडब्ल्यू 07 शंकरलाल व पीडब्ल्यू 12 रुपलाल ने प्रदर्श पी 4 फर्द मौका तस्दीक बरामदगी स्थल पर थाना माण्डल में खाली कागज पर हस्ताक्षर करने एवं पुलिस वालों ने कागज पर क्या लिखापढ़ी की पता नहीं होने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 07 शंकरलाल ने तो दौराने जिरह स्पष्ट रुप से कथन किया है कि दोनों फर्दों पर हस्ताक्षर करते समय पुलिस वालों, उसके, उसके व जमनालाल के अतिरिक्त और कोई थाने पर मौजूद नहीं था इस संबंध में प्रदर्श पी 3 फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल व प्रदर्श पी 4 फर्द मौका तस्दीक बरामदगी स्थल का अवलोकन करें तो प्रदर्श पी 3 व पी 4 में अभियुक्त पिंटु के हस्ताक्षर ही नहीं है जिससे न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि प्रदर्श पी 3 फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल व प्रदर्श पी 4 फर्द मौका तस्दीक बरामदगीस्थल अभियुक्त पिंटु की निशांदेही से मुर्तिब किया गया हो। पत्रावली में अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है जिससे न्यायालय के समक्ष यह जाहिर आता हो कि अभियुक्त पिंटु से चोरीशुदा माल बरामद किया हो। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने भी अभियुक्त पिंटु से चोरीशुदा माल बरामद होने बाबत् कोई कथन न्यायालय के समक्ष नहीं किया है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी गवाह पीडब्ल्यू 10 प्रतापसिंह ने अभियुक्त पिंटु के द्वारा दी गयी धारा 27 की इत्तिला के आधार पर प्रदर्श पी 3 फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल व प्रदर्श पी 4 फर्द मौका तस्दीक बरामदगीस्थल मुर्तिब कर अभियुक्त पिंटु को प्रकरण के संयोजित करना बताया है। इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो अभियुक्त पिंटु द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला दिनांक 17.09.2016 को दी गयी है एवं प्रदर्श पी 3 व पी 4 दिनांक 17.09.2016 को ही मुर्तिब किये गये है। प्रदर्श पी 2 फर्द नक्शामौका दिनांक 4.9.2016 को एवं प्रदर्श पी 7 फर्द बरामदगीस्थल नक्शा अभियुक्त रामेश्वर दिनांक 08.09.2016 को मुर्तिब किया गया है ऐसे में न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि प्रदर्श पी 3 व प्रदर्श पी 4 मुर्तिब करने से पूर्व ही समस्त तथ्य अनुसंधान अधिकारी के ज्ञान में थे। अभियुक्त पिंटु के द्वारा दी गयी धारा 27 की इत्तिला से अनुसंधान अधिकारी के समक्ष कोई नये तथ्य जानकारी में नहीं

आये है। अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष पत्रावली में अभियुक्त पिंटु की संलिप्तता साबित करने में असफल रहा है।

27– इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त पिंटु पर आरोपित अपराध धारा 457, 380 भा.दं.सं साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त पिंटुलाल उर्फ पिंटु ने दिनांक 20.08.16 को सुबह करीब 2 से 3 बजे गांव हरिपुरा कि डेयरी में रखे हुए पशु आहार के कुल 46 बैग प्रार्थी की अनुमति के बिना, चोरी का अपराध कारित करने के आशय से, उस मार्ग/रास्ता द्वारा, जो मानव प्रवेश हेतु आशयित नहीं था. प्रवेश कर करावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए गृह–भेदन का अपराध कारित कर प्रार्थी जमनालाल के डेयरी में रखे हुये कुल 46 बैग, बिना उसकी सहमति, बेईमानीपूर्वक आशय से ले जाकर चोरी की।

:: <u>आदेश</u> ::

28– अतः अभियुक्त पिंटुलाल उर्फ पिंटु पुत्र नारायण गुर्जर उम्र 21 साल निवासी जसवंतपुरा, पुलिस थाना रायला, जिला भीलवाड़ा को अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

29– अभियुक्त रामेश्वर उर्फ रामेश्वरलाल को दिनांक 13–02–2026 को मफरूर घोषित किया गया है। अतः इस मुल्जिम के विरुद्ध कार्यवाही लंबित रहेगी। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह नोट "मुल्जिम मफरूर है, पत्रावली का कोई भाग जाया नहीं किया जावे" अंकित किया जाए।

30– अभियुक्त पिंटु द्वारा पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(हिमांशु गर्ग)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, जिला भीलवाड़ा

31– निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमांशु गर्ग)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, जिला भीलवाड़ा